# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

**प्रकरण संख्या 77/2017 खाद्य सुरक्षा**

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

– प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री उमेश पुत्र विष्णु शंकर शर्मा विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स चिलपार्क (जैन एण्ड जैन फूड प्लाजा) प्लॉट नं. 89, तेज सिंह सर्किल, रिंग रोड, पंचवटी विस्तार, भीलवाडा स्थाई पता– मं.सं. ई– 769, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाडा
2. श्री अर्पित जैन पुत्र नरेन्द्र जैन (मालिक) मैसर्स चिलपार्क (जैन एण्ड जैन फूड प्लाजा) प्लॉट नं. 89, तेज सिंह सर्किल, रिंग रोड, पंचवटी विस्तार, भीलवाडा स्थायी पता – मकान सं. 2–बी–1, आर. सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाडा

––विपक्षी

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51**

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2 विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं

## आदेश

**दिनांक 28.06.2018**

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी श्री उमेश पुत्र विष्णु शंकर शर्मा विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स चिलपार्क

(जैन एण्ड जैन फूड प्लाजा) प्लॉट नं. 89, तेज सिंह सर्किल, रिंग रोड, पंचवटी विस्तार, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् दही, रोटी, सब्जी, दही (टोण्ड दूध से निर्मित) इत्यादि का निर्माण कर विक्रय कर रहा था। श्री उमेश पुत्र विष्णु शंकर शर्मा विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स चिलपार्क (जैन एण्ड जैन फूड प्लाजा) प्लॉट नं. 89, तेज सिंह सर्किल, रिंग रोड, पंचवटी विस्तार, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता के रेस्टोरेण्ट पर स्टील के थाल में रखे हुए लगभग 8–10 किलो दही (टोण्ड दूध से निर्मित) रखा हुआ था । रखे हुए दही (टोण्ड दूध से निर्मित) में मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार दही (टोण्ड दूध से निर्मित) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.04.2017 को समय 04.15 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु मैसर्स चिलपार्क (जैन एण्ड जैन फूड प्लाजा) प्लॉट नं. 89, तेज सिंह सर्किल, रिंग रोड, पंचवटी विस्तार, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर पर खाद्य विक्रेता/मैनेजर की हैसियत से श्री उमेश पुत्र विष्णु शंकर शर्मा विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स चिलपार्क (जैन एण्ड जैन फूड प्लाजा) प्लॉट नं. 89, तेज सिंह सर्किल, रिंग रोड, पंचवटी विस्तार, भीलवाडा था एवं आम जनता को दही (टोण्ड दूध से निर्मित) इत्यादि विक्रय कर रहा था। विक्रेता/मैनेजर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस मांगा गया । विक्रेता/मैनेजर द्वारा खाद्य लाईसेंस बाद मे प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में 800 ग्राम दही (टोण्ड दूध से निर्मित) एक साफ सुखी खाली स्टील की भगोनी में तुलवाकर खरीदा। इस बाबत् 40/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने खरीदशुदा दही (टोण्ड दूध से निर्मित) को चार साफ सुखे खाली चौड़े मुंह के प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर, प्रत्येक डिब्बे में 16–16 बूंदे फार्मलीन बतौर प्रिजरेटिव

डालकर, ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./300/एक्ट/2017/295 दिनांक 09.05.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, दही (टोण्ड दूध से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सब स्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री उमेश पुत्र विष्णु शंकर शर्मा विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स चिलपार्क (जैन एण्ड जैन फूड प्लाजा) प्लॉट नं. 89, तेज सिंह सर्किल, रिंग रोड, पंचवटी विस्तार, भीलवाडा द्वारा सबस्टैण्डर्ड दही (टोण्ड दूध से निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 29.11.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 05.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 28.12.2017 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना दही (टोण्ड दूध से निर्मित) सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने दही (टोण्ड दूध से निर्मित) में **Milk Fat 2.69** प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा **3.0** प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार Milk solids not fat 8.36 प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा **8.5** प्रतिशत से कम नहीं

होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टेण्डर्ड दही (टोण्ड दूध से निर्मित) निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./300/एक्ट/2017/295 दिनांक 09.05.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, दही (टोण्ड दूध से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सब स्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने दही (टोण्ड दूध से निर्मित) में Milk Fat 2.69** प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा **3.0** प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। **इसी प्रकार Milk solids not fat 8.36** प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा **8.5** प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। **इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टेण्डर्ड दही (टोण्ड दूध से निर्मित) निर्माण एवं विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी श्री उमेश पुत्र विष्णु शंकर शर्मा विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स चिलपार्क (जैन एण्ड जैन फूड प्लाजा) प्लॉट नं. 89, तेज सिंह सर्किल, रिंग रोड, पंचवटी विस्तार, भीलवाडा सब स्टैण्डर्ड दही (टोण्ड दूध से निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सब स्टेण्डर्ड दही (टोण्ड दूध से निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन

करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 10,000/—रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/06/18

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

**प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—**

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्री उमेश पुत्र विष्णु शंकर शर्मा विक्रेता/मैनेजर, मैसर्स चिलपार्क (जैन एण्ड जैन फूड प्लाजा) प्लॉट नं. 89, तेज सिंह सर्किल, रिंग रोड , पंचवटी विस्तार, भीलवाडा स्थाई पता— मं.सं. ई— 769, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।
5 श्री अर्पित जैन पुत्र नरेन्द्र जैन (मालिक) मैसर्स चिलपार्क (जैन एण्ड जैन फूड प्लाजा) प्लॉट नं. 89, तेज सिंह सर्किल, रिंग रोड, पंचवटी विस्तार, भीलवाडा स्थायी पता – मकान सं. 2—बी—1, आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाडा

28/06/18

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)